प्रार्थी उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार
बाबत तलबी हेतु दिनांक-
11/12/17 को पेश हो।

11/12/17 [illegible]
आवश्यक नोट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 15/1/18 को पेश हो।

15/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार तलबी हेतु दिनांक 27/3/18 को पेश हो।

27/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार बाबते तलबी हेतु दिनांक 3/5/18 को पेश हो।

18/5/18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज कैम्प न्यायालय आपके द्वारा कैम्प आर्डर से पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित नहीं न ही नोटिस भरकर पेश किये। इसलिये पूर्व आदेशों की पालना न करने पर प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के CPC की धारा 09 RS के तहत खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ